



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुकवार, 5 मार्च, 2010

फाल्गुन 14, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 294/79-वि-1-10-1(क)-5-2010  
लखनऊ, 5 मार्च, 2010

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 3 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनाय इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2010)

[ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये  
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा। सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) यह 1 अक्टूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

<p>उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन 1973 की धारा 4 का संशोधन धारा 5 का संशोधन</p>	<p>2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- “(ड) एक विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जाएगा।”</p>						
<p>नयी धारा 7-ख का बढ़ाया जाना</p>	<p>3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- “(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान तथा उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।”</p> <p>4-मूल अधिनियम की धारा 7-क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- “7-ख-राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किये जाने कुछ विश्वविद्यालयों पर उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, उच्च की अतिरिक्त शिक्षा प्रदान कर रही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की शक्तियों और सहायता, सम्बद्धता और सुविधा देगा।” कर्तव्य</p>						
<p>अनुसूची का संशोधन</p>	<p>5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रमांक 10 के पश्चात निम्नलिखित क्रमांक स्तम्भवार बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">1</th> <th style="width: 33%;">2</th> <th style="width: 33%;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ</td> <td>उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश</td> </tr> </tbody> </table>	1	2	3	11	उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
1	2	3					
11	उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश					
<p>कठिनाइयाँ दूर करना</p>	<p>6-(1) राज्य सरकार उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे : परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।</p>						
<p>निरसन और अपवाद</p>	<p>7-(1) उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी माना इस अधिनियम के उपबन्ध सभा सारवान समय पर प्रवृत्त थे।</p>						

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या 12  
सन 2009

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू मातृ भाषा के रूप में बोला जाता है। उर्दू भाषा को इस प्रकार विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में, जिसके साथ अरबी और फारसी भाषाएँ भी हैं, अपने अध्ययन को उच्चतर स्तर तक जारी रख सके। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 2009) का अधिनियमन किया गया। उक्त अधिनियम का सम्यक् रूप से अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के कतिपय उपबन्ध उसमें विद्यमान नहीं हैं। सन् 2009 के उक्त अधिनियम में विद्यमान कमियाँ को ठीक करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को संशोधित करके उसके द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों की सूची में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी फारसी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया जाय और सन् 2009 के उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
प्रताप वीरेंद्र कुशवाहा,  
सचिव।

No. 294(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)-5-2010

Dated Lucknow, March 5, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2010.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES  
(AMENDMENT) ACT, 2010  
(U.P. ACT NO. 11 OF 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2010.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on October 1, 2009.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely:-

Amendment of section 4 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and reenacted by U.P. Act no. 29 of 1974

“(e) a University to be known as the Urdu, Uttar Pradesh Arabi Pharsi University at Lucknow.”

2

उत्तर प्र  
अधिनियम  
सन् 19  
यथासं  
और पु  
अधिनियम  
सन् 1  
4 का  
धारा

Amendment of  
section 5

3. In section 5 of the principal Act, *after* sub-section (6) the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

“(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the powers conferred on the Uttar Pradesh Urdu, Arabi Pharsi University at Lucknow in respect of education and research in Urdu, Arabic and Persian and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh.”

Insertion of new  
section 7-B

4. *After* section 7-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

“7-B. Upon being authorized by the State Government by notification the Additional Uttar Pradesh Urdu, Arabi Pharsi University shall help, affiliate power and and facilitate the minority educational institutions providing duties of certain higher education.”  
Universities

Amendment of the  
Schedule

5. In the Schedule to the Principal Act *after* serial no. 10 the following set shall columnwise be *inserted*, namely:-

1	2	3
11	The Uttar Pradesh Urdu, Arabi Pharsi University at Lucknow.	Whole of Uttar Pradesh in respect of education and research in Urdu, Arabic and Persian.

Removal of  
difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the Urdu, Arabi Pharsi University, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every Order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1) existed or was required to be removed.

Repeal and Saving

7. (1) The Uttar Pradesh Arabi Pharsi University Act, 2009 is hereby repealed. U.P. Act no 12 of 2009

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

विशेषी परिशिष्ट

भाग - 2, खण्ड - (ग)

विशेषी परिशिष्ट

असाधारण, उत्तर प्रदेश, 1954

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट

विशेषी परिशिष्ट